कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी (राज.)

क्रमांक : स्था0 / 2021 / 180.   दिनांक : 21.10.2021

–:: विज्ञप्ति ::–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांकः G/I/A-4(i)(a) 55/16/514/SC II, दिनांक 05.08.2021 के क्रम में बून्दी न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों की सेवाएँ राजस्थान सरकार कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ17(10) डीओपी / ए–II / 94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर **दिनांक 31.03.2022** तक अथवा रिक्त पदों के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए पूर्णतया अस्थायी रूप से सेवाएँ ली जानी है।

शर्तें :–

01. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के संलग्न परिशिष्ट–"क" के अनुसार होगी।
02. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते हैं।
03. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वाँ भाग काटा जायेगा।
04. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
05. सेवानिवृत कार्मिक शारीरिक/चिकित्सीय रूप से उपयुक्त होने पर ही नियुक्ति के पात्र होंगे। कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
06. ऐसे सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारी जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के सम्बन्ध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

इच्छुक सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों को विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएँ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। **उक्त सेवाएँ बून्दी न्यायक्षेत्र के समस्त मुख्यालयों पर रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।**

अतः सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तो पर सेवाएँ देने वाले इच्छुक सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारी **दिनांक 12 नवम्बर, 2021 समय 05.00 पी.एम. तक** इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है :–

01. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृति आदेश की प्रति।
02. अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र(एलपीसी) प्रति।
03. पीपीओ की प्रति।
04. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न है)।

21/10/2021

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी(राज0)

<u>विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पुत्र/पत्नी श्री..जो सेवानिवृत्ति से पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती............................ ....रू. मासिक मूल वेतन..आहरित कर रहा था/ कर रही थी और कि श्री/श्रीमती..अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमती..के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवेदन प्रारूप

01. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम

02. पिता का नाम

03. जन्म तिथि

04. अर्हताए

05. मूल विभाग का नाम

06. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद

07. अनुभव

08. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है)

09. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न)

10. धारित पद का वेतनमान
(सेवानिवृत्ति के समय)

11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र
(संलग्नानुसार)

12. स्थाई पता

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं एफ.17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान:
दिनांक:

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर